

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक/रीडर/2025/8060

दिनांक - 01/09/2025

प्रार्थीगण

1 तगाराम 2 रेखाराम
पिसरान लालाराम
जातियान जाट निवासी
नान्द, तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

1 प्रकाश 2 अमराराम पिसरान उतमाराम 3 गेरी पत्नि
उदाराम नाबालिग तुलसाराम पुत्र उदाराम संरक्षक जरिये
माता गेरी 5 प्रभुराम पुत्र उतमाराम 6 पन्नाराम पुत्र
रूपाराम जातियान मेघवाल 7 अध्यक्ष वीर तेजाजी शिक्षण
संस्थान नांद 8 खेताराम 9 चनणाराम 10 पुरखाराम
पिसरान महेशाराम 11 अर्जुनराम 12 लक्ष्मणसिंह पिसरान
करनाराम जातियान जाट 13 छगनी देवी पत्नि बालाराम
14 जुंजाराम पुत्र बालाराम 15 नाबालिग नाथूराम पुत्र
बालाराम जरिये संरक्षक माता छगनी देवी 16 नौजी पुत्री
बालाराम 17 भैराराम पुत्र बालाराम 18 हेमी पुत्री
बालाराम जातियान मेघवाल निवासी नान्द, तहसील व
जिला बाड़मेर। 19 शिक्षाकर्मी पाठशाला बेरडो की ढाणी
20 अधीशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर
21 तहसीलदार बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-131/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नांद हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या
734/622 रकबा 11.3150 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/8061-8064

दिनांक- 01/09/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण तगाराम पुत्र लालाराम जातियान जाट निवासी नान्द, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण प्रकाश पुत्र उतमाराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर